भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 190
दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक इकाइयों से हानिकारक गैसों या रासायनिक पदार्थों का रिसाव

190. श्री नीरज डांगी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में गैस या रासायनिक रिसाव की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;
(ख) क्या सरकार द्वारा इन हादसों के लिए ज़िम्मेदार औद्योगिक इकाइयों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार राज्यों के साथ मिलकर औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों के पालन के लिए कोई विशेष निगरानी तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क):

श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) के अधीन कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजी फासली) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड), 2020 के अंतर्गत गैस रिसाव (श्रमिकों द्वारा विषाक्त या दम घोंटने वाली औद्योगिक गैसों, धुएं या वाष्पों के आकस्मिक साँस में चले जाने या इनके संपर्क में आने) से उत्पन्न दुर्घटनाओं के कारण हुई घातक और गैर-घातक चोटों का राज्यवार विवरण एकत्र करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त पिछले पाँच वर्षों की जानकारी अनुलग्नक I और II में दी गई है।

(ख) और (ग):

केंद्र सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता 2020 अधिनियमित की है, जो 21.11.2025 से प्रभावी हो गई है। इसका उद्देश्य कारखानों सहित किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं को विनियमित करना और उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों का निपटान करना है। कारखानों के मामले में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता 2020 के प्रावधानों को लागू करने के लिए उपयुक्त सरकार हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और उनके अनुपालन से संबंधित प्रावधान ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता 2020 के अंतर्गत आते हैं। उक्त संहिता के अंतर्गत विभिन्न उपबंध किए गए हैं जिनमें खतरनाक प्रक्रियाओं के संबंध में अधिभोगी के दायित्व, मानक और अनुपालन न करने पर अपराध और दंड से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, उक्त संहिता में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने का प्रावधान भी है। विभिन्न राज्य सरकारों ने इन मुद्दों को दूर करने के लिए संबंधित कानून बनाए हैं।

दुर्घटनाओं के संबंध में, संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है।

वर्ष 2020 से 2024 तक कारखानों में गैस या रासायनिक रिसाव की घटनाओं सहित, ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के प्रावधानों के संबंध में कानूनी अनुपालन ढांचे के उल्लंघन के लिए अभियोजन और दोषसिद्धि का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

'औद्योगिक इकाइयों से हानिकारक गैसों या रासायनिक पदार्थों का रिसाव' के बारे में राज्य सभा में दिनांक: 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 190 के भाग (क) उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- I

पंजीकृत कारखानों में गैस रिसाव के कारण हुई घातक चोटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा (2020-2024)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2	2	3	2	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	1	5	0	0	0
8	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	0	#	#	#	#
9	दिल्ली	2	0	0	0	0
10	गोवा	1	0	0	0	0
11	गुजरात	10	14	2	6	4
12	हरियाणा	2	0	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	#
15	झारखंड	0	0	1	0	0
16	कर्नाटक	1	1	3	1	3
17	केरल	0	0	0	0	0
18	लद्दाख	#	#	#	#	#
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	0	0	1	0	0
21	महाराष्ट्र	6	4	4	7	4
22	मणिपुर	0	0	0	0	0

23	मेघालय	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	#	0	#
25	नागालैंड	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	0	1	0	0	1
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	#	0	0	#
29	राजस्थान	0	0	1	0	1
30	सिक्किम	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	8	6	0	0	0
32	तेलंगाना	2	2	1	2	1
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	3	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	4	0	0	0	0
36	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	2
कुल		**42**	**35**	**16**	**18**	**17**

डेटा स्रोत: डीजी फासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) / औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्रित डेटा।

टिप्पणी: (i) *: इस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

(ii) #: सीआईएफ / डीआईएसएच द्वारा डेटा नहीं भेजा गया।

'औद्योगिक इकाइयों से हानिकारक गैसों का रासायनिक पदार्थों का रिसाव' के बारे में राज्य सभा में दिनांक: 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 190 के भाग (क) उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- II

गैस रिसाव के कारण पंजीकृत कारखानों में हुई गैर-घातक चोटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा (2020-2024)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	4	1	1	5	10
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	0	1	0	0	0
5	बिहार	1	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	1	3	0	0
8	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	0	#	#	#	#
9	दिल्ली	0	0	0	0	0
10	गोवा	2	0	0	0	0
11	गुजरात	7	3	3	13	7
12	हरियाणा	0	0	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	12	0	#
15	झारखंड	0	0	0	0	0
16	कर्नाटक	2	0	29	1	3
17	केरल	1	1	0	0	1
18	लद्दाख	#	#	#	#	#
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
21	महाराष्ट्र	63	13	13	44	34
22	मणिपुर	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0

24	मिजोरम	0	0	#	0	#
25	नागालैंड	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	0	0	0	1	3
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	#	0	0	#
29	राजस्थान	1	1	1	0	1
30	सिक्किम	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	9	1	0	4	0
32	तेलंगाना	12	2	8	12	2
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	2	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	5	1	0	0	0
36	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#
कुल		**112**	**25**	**70**	**80**	**61**

डेटा स्रोत: डीजी फासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) / औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्रित डेटा।

टिप्पणी: (i) *: इस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #: सीआईएफ / डीआईएसएच द्वारा डेटा नहीं भेजा गया।

'औद्योगिक इकाइयों से हानिकारक गैसों का रासायनिक पदार्थों का रिसाव' के बारे में राज्य सभा में दिनांक: 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 190 के भाग (ख) और (ग) उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- III

धारा 92 और 96-ए के तहत अभियोग और दोषसिद्धि (2020-2024)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020					
		अभियोगों की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	लगाया गया जुर्माना	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान शुरू किया गया	वर्ष के दौरान निर्णय लिया गया		कैद की सजा	लगाया गया कुल जुर्माना
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1281	256	18	8	#	317000
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	133	5	#	#	#	#
5	बिहार	243	20	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ़	364	204	108	98	#	4554501
8	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	206	30	33	33	#	70000
10	गोवा	12	1	1	#	#	#
11	गुजरात	16397	1466	379	379	#	3615800
12	हरियाणा	9157	2180	912	598	#	3522500
13	हिमाचल प्रदेश	427	44	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	26	16	10	10	#	49000
15	झारखंड	369	11	1	#	#	#
16	कर्नाटक	694	103	83	27	8	1172000
17	केरल	197	33	24	14	#	246000
18	लद्दाख	#	#	#	#	#	#
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	2112	98	4	#	#	114000

21	महाराष्ट्र	2481	405	226	224	#	6408000
22	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
23	मेघालय	#	#	#	#	#	#
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
25	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
26	ओडिशा	2606	77	#	#	#	#
27	पुडुचेरी	5	4	4	#	#	#
28	पंजाब	1102	9	16	2	1	256700
29	राजस्थान	283	31	4	#	#	60000
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	10927	2231	1089	1067	1	10242500
32	तेलंगाना	2668	184	111	98	#	1840000
33	त्रिपुरा	4	#	#	#	#	#
34	उत्तर प्रदेश	2391	70	5	5	#	194000
35	उत्तराखंड	19	12	19	#	#	#
36	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**54104**	**7490**	**3047**	**2563**	**10**	**32662001**

स्रोत: डीजी फासली द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्रित डेटा।

टिप्पणी: (i) *: इस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

(ii) #: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा नहीं भेजा गया।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021					
		अभियोगों की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	जुर्माना लगाया गया	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान शुरू किया गया	वर्ष के दौरान निर्णय लिया गया		कैद की सजा	कुल जुर्माना लगाया गया
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1562	602	215	215	#	3459500
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	22	#	#	#	#	#
5	बिहार	263	30	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ़	460	178	181	104	#	15861000
8	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	203	32	15	32	#	159000
10	गोवा	17	6	3	2	#	60000
11	गुजरात	17484	2312	1376	1285	#	13022500
12	हरियाणा	8146	3120	2541	1823	#	7302500
13	हिमाचल प्रदेश	471	26	34	34	#	623000
14	जम्मू और कश्मीर	31	17	7	7	#	20000
15	झारखंड	367	16	1	#	#	#
16	कर्नाटक	714	88	80	30	6	1172000
17	केरल	207	31	37	26	2	683500
18	लद्दाख	#	#	#	#	#	#
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	2206	91	30	#	#	1554000
21	महाराष्ट्र	2429	547	412	83	#	5675500

22	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
23	मेघालय	#	#	#	#	#	#
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
25	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
26	ओडिशा	2683	60	3	#	#	#
27	पुडुचेरी	5	8	7	#	#	440000
28	पंजाब	#	#	#	#	#	#
29	राजस्थान	310	22	7	#	#	655000
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	7559	1682	1335	1297	#	12149000
32	तेलंगाना	2825	179	144	72	#	1935000
33	त्रिपुरा	8	1	2	2	#	11000
34	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	12	20	19	#	#	#
36	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**47984**	**9068**	**6449**	**5012**	**8**	**64782500**

स्रोत: डीजी फासली द्वारा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्रित डेटा।

टिप्पणी: (i) *: इस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

(ii) #: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा नहीं भेजा गया।

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2022					
		अभियोगों की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	लगाया गया जुर्माना	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान शुरू किया गया	वर्ष के दौरान निर्णय लिया गया		कैद की सजा	लगाया गया कुल जुर्माना
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1925	269	168	137	#	2526000
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	22	26	#	#	#	#
5	बिहार	273	34	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ़	457	238	238	144	#	19198000
8	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	220	30	49	49	#	614000
10	गोवा	22	2	2	1	#	50000
11	गुजरात	14619	2806	3890	1497	#	22444000
12	हरियाणा	6814	4787	3256	1946	#	10924200
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	41	13	#	#	#	#
15	झारखंड	412	33	2	#	#	#
16	कर्नाटक	613	194	155	86	10	3311100
17	केरल	216	22	45	37	#	811000
18	लद्दाख	#	#	#	#	#	#
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	2267	118	44	#	#	3069000
21	महाराष्ट्र	2546	481	457	377	#	14526000
22	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
23	मेघालय	#	#	#	#	#	#
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
25	नागालैंड	#	#	#	#	#	#

26	ओडिशा	2740	80	4	#	#	#
27	पुडुचेरी	6	1	1	#	#	90000
28	पंजाब	100	12	10	9	#	172500
29	राजस्थान	325	20	13	4	#	15000
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	7906	2688	1872	1858	#	23124250
32	तेलंगाना	2704	182	111	62	#	2605000
33	त्रिपुरा	8	4	4	2	#	90000
34	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	13	19	19	#	#	#
36	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**44249**	**12059**	**10340**	**6209**	**10**	**103570050**

स्रोत: डीजी फासली द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्रित डेटा।

टिप्पणी: (i) *: इस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

(ii) #: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा नहीं भेजा गया।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023					
		अभियोगों की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	लगाया गया जुर्माना	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान शुरू किया गया	वर्ष के दौरान निर्णय लिया गया		कैद की सजा	लगाया गया कुल जुर्माना
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	2019	279	183	185	#	2858500
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	122	26	#	#	#	#
5	बिहार	307	14	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ़	457	205	142	110	#	19158000
8	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	201	23	53	53	#	648000
10	गोवा	17	4	6	4	#	71000
11	गुजरात	13535	3744	3516	2381	#	27046000
12	हरियाणा	7443	5122	2556	1426	#	9431500
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	54	3	3	3	#	2500
15	झारखंड	427	69	01	#	#	#
16	कर्नाटक	652	175	187	93	5	2928000
17	केरल	195	59	36	24	1	575996
18	लद्दाख	#	#	#	#	#	#
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	2386	88	54	#	#	6045000
21	महाराष्ट्र	2310	401	271	187	#	13448000
22	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
23	मेघालय	#	#	#	#	#	#
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
25	नागालैंड	#	#	#	#	#	#

26	ओडिशा	2796	73	4	#	#	#
27	पुडुचेरी	5	6	11	#	#	692000
28	पंजाब	102	17	6	1	#	90000
29	राजस्थान	264	44	28	18	#	674000
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	8770	2218	1886	1882	#	35982750
32	तेलंगाना	2463	228	130	118	9	2944500
33	त्रिपुरा	8	5	4	2	#	12000
34	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	14	19	18	#	#	#
36	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**44547**	**12822**	**9095**	**6487**	**15**	**122607746**

स्रोत: डीजी फासली द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्रित डेटा।

टिप्पणी: (i) *: इस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा नहीं भेजा गया।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024					
		अभियोगों की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	लगाया गया जुर्माना	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान शुरू किया गया	वर्ष के दौरान निर्णय लिया गया		कैद की सजा	लगाया गया कुल जुर्माना
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1759	342	228	165	0	5256000
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	#	12	#	#	#	#
5	बिहार	321	16	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	518	373	118	117	0	9713500
8	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	171	41	55	55	0	208000
10	गोवा	20	2	1	1	0	100000
11	गुजरात	13250	3993	3231	2988	#	26289721
12	हरियाणा	8550	4019	3005	1608	0	10268500
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	#	#	#	#	#	#
15	झारखंड	513	15	0	0	0	0
16	कर्नाटक	638	178	138	97	0	2685003
17	केरल	213	25	45	26	0	887000
18	लद्दाख	#	#	#	#	#	#
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*

20	मध्य प्रदेश	2420	145	60	0	0	3774000
21	महाराष्ट्र	2753	772	400	239	0	10996000
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	2865	83	2	0	0	0
27	पुडुचेरी	0	4	4	0	0	706050
28	पंजाब	#	#	#	#	#	#
29	राजस्थान	295	23	32	13	0	857000
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	9102	4335	2566	2565	0	5027940
32	तेलंगाना	2880	453	310	69	0	2205000
33	त्रिपुरा	10	9	5	5	0	38000
34	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	15	5	16	0	0	100000
36	पश्चिम बंगाल	402	50	16	16	0	940000
कुल		**46695**	**14895**	**10232**	**7964**	**0**	**80051714**

स्रोत: डीजी फासली द्वारा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्रित डेटा।

टिप्पणी: (i) *: इस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #: सीआईएफ द्वारा डेटा नहीं भेजा गया।

*****